न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 102/2008/223 आर टी ए

1. प्यारादेवी पत्नि लालचंद जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. चन्दासिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानग़ढ़।
2. रूकमणी पत्नि मदनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानग़ढ़।
3. गुडी पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानग़ढ़।
4. चन्दो पत्नि बुधराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानग़ढ़।
5. रूकमा पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानग़ढ़।
6. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.08 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रकरण सं. 132/2007 अनवानी प्यारादेवी बनाम चन्दो देवी आदि

उपस्थित :–

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री भोजराज भार्गव अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांकः–09.08.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की चक 25 जेएसएन तहसील नोहर मे मुश्तरका खाते की भूमि है जिसमे वादिया की खरीदशुदा भूमि है तथा जिसमे वादिया का 80 हिस्सा है। उक्त भूमि मुकन्दसिंह से खरीद की थी तथा खरीद करने के पश्चात मुकन्दसिंह का कब्जा काश्त की भूमि का ही कब्जा लिया था तथा खरीद के उपरांत उक्त भूमि ाको समतल व उपजाउ बनाया है। मुताबिक कब्जा खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का विरोध किया तथा वाद वादिया खारिज किये जाने का कथन किया। जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात दाा मे साक्ष्य ली जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया तथा वाद मे विभाजन रिपोर्ट आने के पश्चात वादिया के द्वारा उक्त रिपोर्ट का एतराज किया जिस पर पुनः रिपोर्ट जो पूर्व मे आयी थी उसी रिपोर्ट को

वापिस भेजा गया जिस पर वादिया ने एतराज किया बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा को अन्तिम डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कतई गलत व विधि विरूद्ध होन के कारण काबिले खारिज है। अपीलांटा के द्वारा अपने वाद मे यह भलीभांति साबित किया था कि अपीलांट ने मुकन्दसिंह से उसके 80 हिस्सा की भूमि खरीद की थी जिसके बाबत मुकन्दसिंह ने अपीलांट को जो उसने अपने कब्जा की भूमि का बैयनामा करवाया था उसके कब्जे के बाबत अलग से हल्फनामा भी दिया था जो अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारण न्यायालय ने बंटवारानामा किया जिस पर कोई गौर ही नही किया गया तथा दावा डिक्री कर दिया। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज किया था तथा लिखित एतराज भी प्रस्तुत किया था जिस पर ना तो अधीनस्थ न्यायालय ने वापिस भेजा तथा ना ही अपीलांट का लिखित एतराज को खारिज किया बावजूद इसके अन्तिम डिक्री जारी की है। अपीलांट के द्वारा विक्रेता का हल्फनामा प्रस्तुत किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने भी उसी रकबा का कब्जा अपीलांट को होना माना है जबकि विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था उक्त विभाजन प्रस्ताव मे अपीलांट के उक्त किलेजात तथा अपीलांट का कब्जा काश्त नही होना दर्शाया गया है बावजूद इसके न्यायालय द्वारा दावा को अन्तिम डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो डिक्री पारित की है उक्त डिक्री के अनुसार अपीलांट के खेत के छोटे छोटे टुकडे हो गये है जो किसी कदर काबिले काश्त ही नही रहे है तथा अपीलांट के खेत एक रास्ते की तरह लम्बा कर दिया गया है जिस कारण से अपीलांट अपने खेत को काश्त भी नही सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को खारिज किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दियो जावे कि वे कब्जा काश्त के अनुसार अन्तिम डिक्री पारित करें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत कर चक 25 जेएसएन तहसील नोहर मे मुश्तरका खाते मे दर्ज अपने हिस्सा भूमि के संबंध मे खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया जिसमे रेस्पो0 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुए दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मे प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए

विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव आने के उपरांत अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की तथा आपत्ति पर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही दावा अन्तिम डिक्री किया है। विभाजन प्रस्ताव मे भूमि के खातेदारान को रास्ता व खाला आदि सुविधा भी दी गई। समस्त भूमि को रास्ता व खाला सुविधा है। अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की गई जो स्वीकार योग्य नही है। अपीलांटा द्वारा मिथ्या कथन करते हुए अपील प्रस्तुत की है। जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटा/वादिया ने विभाजन का वाद प्रस्तुत कर खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया जिसमे विभाजन प्रस्ताव हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसकी पालना मे विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा आपत्ति जाहिर की गई। आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही तथा पक्षकारान की अनुपस्थिति मे तैयार विभाजन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा अन्तिम डिक्री कर दिया जबकि विभाजन के वाद मे विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक है तथा तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/ आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार आपत्ति/आक्षेपो का निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित किये जाने के प्रावधान है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही पक्षकारान की अनुपस्थिति मे तैयार विभाजन के आधार पर दावा अन्तिम डिक्री कर दिया जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2008 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 10.09.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official